

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 170 धाराएँ हैं, जिसमें 24 को संशोधित किया गया है, दो को जोड़ा गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की 167 धाराओं में से छह को निरस्त किया गया है।

बरकरार प्रावधान

- कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यदि साक्ष्य, दी गई परिस्थितियों में उचित कार्रवाई का समर्थन करता है तो न्यायालय द्वारा साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाए।
- पुलिस की स्वीकारोक्ति आम तौर पर तब तक अस्वीकार्य होती है, जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया जाए।

प्रमुख बदलाव

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के समान कानूनी दर्जा
 - मेमोरी और संचार उपकरणों में संग्रहीत डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
- मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति
 - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- संयुक्त मुकदमे का अर्थ है, एक ही अपराध के लिये एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना
 - कई व्यक्तियों का मुकदमा, जहाँ एक आरोपी ने गिरफ्तारी वॉरंट का जवाब नहीं दिया है, उसे संयुक्त मुकदमा माना जाएगा

प्रमुख मुद्दे

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड:

- तलाशी, ज़बती और जाँच प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के संबंध में चिंताएँ
- सामान्यतः दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य होने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया जाए
- अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजों (जिन्हें प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती) के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है

SC और विधि आयोग के सुझाव का बहिष्कार:

- दबाव और यातना के बारे में चिंताएँ क्योंकि अधिनियम में एक नियम दिया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है यदि यह सीधे किसी खोजे गए तथ्य से संबंधित है
- हिरासत में किसी को चोट लगने पर पुलिस की ज़िम्मेदारी की धारणा का बहिष्कार

और पढ़ें: [भारतीय साक्ष्य \(द्वितीय\) अधिनियम, 2023](https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bharatiya-sakshya-act,-2023-1)